

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक : एफ 15(8) 2024 / गोप्र / प्रमुखसं-11544

दिनांक : As per sign

**-:: कार्यालय-आदेश ::-**

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.03.2025 की अभिशंभानुसार निम्नांकित वनपालों को वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2020-21, वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार दिनांक से क्षेत्रीय वन अधिकारी- द्वितीय (गैर-अनुसूचित क्षेत्र) के रिक्त पद के विरुद्ध चयन किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल एल-10 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम वनपाल (सर्व श्री / सुश्री / श्रीमती)	पिता / पति का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1.	बसन्त कुमार डुमोलिया	मूल चन्द बैरवा	एस.सी	01.04.2017
2.	संजीव कुशवाह	मदन सिंह	-	01.04.2018
3.	राम नरेश मीणा	दानाराम	एस.टी.	01.04.2020
4.	बनवारी लाल	कचन सिंह	-	01.04.2023
5.	अनुराग मीणा	कैलाश चन्द	एस.टी.	01.04.2024
6.	थानेदार मीणा	तेजाराम	एस.टी.	01.04.2024
7.	राम चन्द जाटव	रूपराम	एस.सी	01.04.2024
8.	प्रदीप कुमार यादव	हंसराज	-	01.04.2024
9.	गजेन्द्र कुमावत	बाबू लाल कुमावत	-	01.04.2024
10.	अशोक कुमार गूर्जर	रिछपाल गूर्जर	-	01.04.2024
11.	मुकेश कुमार मीणा	राम कुमार	एस.टी.	01.04.2024
12.	देवेन्द्र सिंह	जगदीश प्रसाद	-	01.04.2024
13.	अमर सिंह	निरंजन सिंह	-	01.04.2024
14.	विकास नेहरा	जगदीश प्रसाद नेहरा	-	01.04.2024
15.	गणपत सिंह	पन्ने सिंह	-	01.04.2024
16.	किशोर सिंह	भादर सिंह	-	01.04.2024
17.	सागर सिडाना	सुरेन्द्र सिडाना	-	01.04.2024
18.	शिशुपाल सिंह	कंवर सिंह	-	01.04.2024
19.	मुकेश कुमार मीणा	कल्याण राम	एस.टी.	01.04.2024
20.	महिपाल सिंह	घनश्याम सिंह	-	01.04.2024
21.	हनुमन्त सिंह	रणजीत सिंह	-	01.04.2024
22.	नन्द राम	पीरा राम	-	01.04.2024



क्र.स.	नाम वनपाल (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	पिता /पति का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
23.	दुर्गाराम चौधरी	लाखाराम	—	01.04.2024
24.	जुल्फीकार अली	अब्दुल अली	—	01.04.2024
25.	डूंगा राम कुमावत	तुलसी राम	—	01.04.2024
26.	गोपाल मेहरा	कल्याण मेहरा	—	01.04.2024
27.	चतुर्भज सिंह	शिव चरण सिंह	—	01.04.2024
28.	घनश्याम मीणा	भवाना राम	एस.टी.	01.04.2024
29.	समन्दर सिंह	रामचन्द्र सिंह	—	01.04.2024
30.	बाबू लाल गोठवाल	छोटे लाल	एस.सी.	01.04.2024
31.	योगेश कुमार शर्मा	जगदीश प्रसाद	—	01.04.2024
32.	श्रवण सिंह	शिम्भू सिंह	—	01.04.2024
33.	देव राज सुमन	राम लटूर सुमन	—	01.04.2024
34.	अजय राजावत	जय सिंह राजावत	—	01.04.2024
35.	विक्रम हूण	तुलसी राम	—	01.04.2024
36.	पवन सिंह शेखावत	उम्मेद सिंह	—	01.04.2024
37.	हर्ष कुमार शर्मा	भवानी शंकर जोशी	—	01.04.2024
38.	देवी लाल	सोहन लाल	—	01.05.2024
39.	भवानी सिंह मीणा	राम नारायण	एस.टी.	01.05.2024
40.	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	बुद्धी प्रकाश	—	01.05.2024
41.	ओम प्रकाश दायमा	मग्गु जी	एस.सी.	01.07.2024
42.	मांगी लाल मेघवाल	शंकर लाल मेघवाल	एस.सी.	01.07.2024
43.	भगवान राम	कवंरा राम	एस.सी.	01.07.2024
44.	गुणेशा राम मेघवाल	मेहरा राम	एस.सी.	01.07.2024
45.	अशोक कुमार	देवा राम	एस.सी.	01.08.2024
46.	जगदीश चन्द बलाई	भगवान लाल बलाई	एस.सी.	01.12.2024

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित लोकसेवक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पदोन्नत है। उपरोक्त कार्यरत लोकसेवक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा कार्य-ग्रहण की रिपोर्ट दिनांक 18.03.2025 तक इस कार्यालय को भिजवायेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। उपरोक्त कार्यरत लोकसेवकों का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह तीन पश्चात्पूर्वी वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार

होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

दो से अधिक संतानों के पदोन्नति के प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर में दायर डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 13218/2024 संतोष कुमार महावर वगैराह बनाम सरकार के निर्णयाधीन रहेगी।

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(8) 2024 / गोप्र / प्रमुखसं-11544

दिनांक : As per sign

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/ मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर/मुकन्दरा (कोटा)।
9. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
10. उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी/ भू-संरक्षण अधिकारी।
11. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
12. संबंधित लोकसेवक.....।
13. रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर